## कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॅारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email- Nodalofficerddn@gmail.com

Phone/Fax-2767611

पत्रांक:- 738

/FP/UK/HYD/22889/2016 दिनॉकः देहरादून

८ सित

सितम्बर 2021

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,

भारत सरकार,

्रियावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड़, देहरादून ।

विषय:- जनपद-उत्तरकाशी के अन्तर्गत सूपिन नदी पर प्रस्तावित 44 मेगावाट क्षमता की जखोल-सांकरी जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु 24.317 है0 वन भूमि के सम्बन्ध में। FP/UK/HYD/22889/2016

सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के EDS दिनांक 31.05.

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार की EDS 31.05.2021 के क्रम में चाही गयी सूचना निदेशक/वन संरक्षक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून उत्तराखण्ड के पत्रांक 1035/12—1 दिनांक 09.09.2021 के द्वारा इस कार्यालय को निम्न प्रकार प्रेषित की गयी है:—

क्र0सं0	आपितत	निराकरण
1	In reply to point No. 01, State govt. forwarded the letter of DFO, wherein DFO submitted that area has been visited by him and found suitable for plantation. Further, it has also been state that the tree counting in the area will take time. The contention of DFO that the density is less than 0.4 cannot be accepted without the tree counting. Therefore, State govt. may either replace the 9 ha. VDF area and 33 ha. MDF area with some other area suitable for CA or submit the enumeration list of trees falling in CA area.	उपरोक्त चयनित क्षेत्रों से सम्बन्धित KML file geo- reference map, Topo sheet, CA. Plan आदि ऑनलाईन यथास्थान अपलोड कर दिये गये है। (संलग्न–1)
2	In reply to point No. 02 Nodal Officer has mentioned that 2.067 ha. area falls in Govind WLS however, as per the letter dt. 17.04.2021 Deputy Director, Govind WLS, 22.067 ha. area falls in Govind WLS. State govt. may submit the calrification and provide the correct information in this regard.	गोविन्द वन्य जीव विहार एवं राष्ट्रीय पार्क, पुरोला के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी में सूपिन नदी पर प्रस्तावित 44 मेगावाट क्षमता की जखोल—सांकरी जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु हस्तान्तरित होने वाली वास्तविक वन भूमि 22.067 है0 है (संलग्न—2)

अतः प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें। संलग्नक—यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ) क्रिपुल जोशी) अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, बन संरक्षण,

पत्राक / FP/UK/HYD/22889/2016 / दिनांकित। प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निवेशक / वन संरक्षक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून उत्तराखण्ड के पत्रांक 1035 / 12-1 दिनांक 09.09.2021 के कम में।

2. प्रभागीय वनाधिकारी, टौन्स वन प्रभाग, पुरोला।

(डॉo किपिल जोशी) अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,